उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/4127 / जबलपुर, दिनांक 06/09/2019.
चार–12–15/99 भाग–ग्यारह

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. रजिस्ट्रार, आई.एल./प्रशासन/कम–पी.पी.एस, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
8. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) पेंशन/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (एम) लेखा/बजट/पेंशन एवं वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
11. कोषालय अधिकारी, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
12. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म. प्र. जबलपुर,

की ओर म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 4287/2019/21–ब (एक) भोपाल, दिनांक 31–08–2019 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– **म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 4287/2019/21–ब (एक) भोपाल, दिनांक 31–08–2019 की प्रतिलिपि.**

06/9/2019

(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

SPEED-POST

7562

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 4287 /2019/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक 31,08 ,2019

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश
04 SEP 2019
जबलपुर

विषय:- माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 9897/2016 "श्री अन्नूलाल डेहरिया व अन्य विरूध्द मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय व अन्य", में पारित निर्णय दिनांक 20-09-2017 के पालन में उच्च न्यायालय की स्थापना पर पदस्थ वाहन चालकों को समयमान-वेतनमान दिए जाने के संबंध में।

राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर व खण्डपीठ इंदौर तथा ग्वालियर की स्थापना पर वाहन चालक के पद पर कार्यरत 07 कर्मचारीगण जिनमें से 04 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक सी/6411/4-12-15/99 जबलपुर दिनांक 06-08-2011 को पुनर्स्थापित कर कर्मचारीगण श्री घनश्याम साहू, श्री शिवसहाय सक्सेना, श्री रामसखा मिश्रा को उनकी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालकों के पद पर की गई सेवाओं को जोडते हुए दिनांक 01-04-2006 से प्रथम समयमान वेतनमान तथा आदेश क्रमांक सी/6413/4-12-15/99 जबलपुर दिनांक 06-08-2011 को पुनर्स्थापित कर कर्मचारीगण श्री ओमप्रकाश, श्री अन्नूलाल डेहरिया, श्री वंशपति यादव को उनकी आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालकों के पद पर की गई सेवाओं को जोडते हुए दिनांक 01-11-2008 से तथा श्री अब्दुल वाहिद को दिनांक 24-11-2010 से द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत करने की अनुमति विशेष प्रकरण मानकर प्रदान की जाती है। इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जावे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय योजना (0573)-उच्च न्यायालय (भारित) की मद 11-वेतन भत्ते के अंतर्गत विकलनीय होगा।

उपरोक्त स्वीकृति मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 19 अगस्त 2019 एवं वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक ...1809/19.......... दिनांक ...31/8/19......... के अनुक्रम में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

पृ.क्रमांक /2019/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक ,2019

प्रतिलिपि:-

1- एक अतिरिक्त प्रति सहित सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, नियम-4, मंत्रालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- महालेखाकार,म.प्र. ग्वालियर
3- आयुक्त, कोष एवं लेखा,मध्यप्रदेश भोपाल,
4- जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

5/9/19
REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
Reg.(A)/Reg.(M)